दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

... दुकान नं. 2 3, ... दिल्ली 35

E-mail: dsrds...

9212567477
9312228820
9310-66015
9311100...
9560128537
9311171582
9211608222
9212206640
9311...
9311389566
9278203088
9813000202
9212245949

... DSRDS 20.. / 31   30th Sept 20..

To
The Chief Editor,

Bahadur Shah Zafar Marg
Near I.T.O
New Delhi

Subject: Press Material

Sir,

We had a general body meeting/assembly of the 2500 FPSs of Delhi today. Smt Shiela Dikshit, Former CM & Governor of Kerala State [illegible] chief guest. On hearing the grievances of the FPSs she announced to take up with His Excellency the Governor of Delhi to resolve. She also advised that these problems can be resolved in/through a Committee of officers of F&S Deptt with 2-3 Representatives of DSRDS. The memorandum of demands is enclosed for your information/n.a.

Thanks

Yours faithfully

(SHIV KUMAR GARG)
PRESIDENT
Mob No. [illegible]

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ – दिल्ली प्रदेश

/31 दिनांक 30/09/2014

प्रस्तुत ज्ञापन आज दिनांक 30 सितम्बर 2014 को दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ की एक सभा केशव पुरम में साहिब सिंह वर्मा समुदाय भवन में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई जिसमें दिल्ली के 2500 के करीब उचित दर दुकानदारों की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने के लिए अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन दिल्ली के माननीय उप-राजपाल को सम्बोधित करके जारी किया गया।

*_**_*

माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली

1. दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक - 2013 को दिल्ली सरकार द्वारा मनमाने तरीके से लागू किया गया है | इसका नतीजा यह हुआ कि लाखो गरीब परिवारों को श्रीमति सोनिया गांधी के इस जनप्रिय विधेयक का कोई लाभ नहीं मिला है | इस विधेयक की आड़ में दिल्ली में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लागू किया जा रहा है | माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की सरेआम धज्जियाँ उड़ाकर दिल्ली सरकार का खाद्य एंव संभरण विभाग गरीबों को दिए जाने वाले सस्ते दर के खाद्यान्न के वितरण में धान्दली कर रहा है

बिना आधार कार्ड के कोई भी राशन कार्ड गरीबों का नहीं बनाया जा रहा है | यदि किसी परिवार ने अपने सभी पांच सदस्यों के राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है और उसमे दो सदस्यों का आधार कार्ड नहीं लगा है तो राशन कार्ड में से उन दो सदस्यों का नाम विभाग द्वारा काट दिया गया है|यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दिल्ली की अवमानना का विषय है! विडबना यह है कि इस विभाग के आयुक्त श्री सज्जन सिंह यादव जानबूझकर न्यायालय की अवमानना कर रहे है इसलिए हमारी संस्था की यह मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्व उचित कार्यवाही की जाए.

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 के अंतर्गत दिल्ली में हजारों उन परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिए गए है जोकि इन राशन कार्डो के लिए पात्र नहीं है | ऐसे कई मामले इस संस्था द्वारा खाद्य संभरण विभाग के उच्च अधिकारियों की जानकारी में लाए गए परंतु उन पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी | सच्चाई यह है कि जिन गरीबों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला और आज भी आधार कार्ड नही होने के कारण उन गरीबो को सस्ते राशन से वंचित रहना पड़ रहा है और इसके साथ- साथ उन गरीबों को आधार कार्ड तथा 2 किलो वाट बिजली के बिल में अटका कर रख दिया गया और उन परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं जो कि इस योजना में नहीं आते | इस सन्दर्भ में जब संस्था ने विभाग के आयुक्त श्री एस एस यादव (आई.ए.एस.-1995) से मीटिंग का समय माँगा तो वह लम्बे समय तक इसे टालते रहे और अंत में जब संस्था के पदाधिकारियों ने ज्यादा दबाव डाला तो श्री यादव साहब ने 24/09/2014 की दोपहर 12 बजे की मीटिंग तय कर दी और इस मीटिंग से वे स्वयं नदारत हो गए | उनका यह कहना था कि वे दिल्ली सरकार के खाद्य एवं संभरण विभाग के आयुक्त पद के अतिरिक्त भी चार अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष है इसलिए वे हमारी संस्था को समय नहीं दे पा रहे है | माननीय उप-राज्यपाल महोदय जी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि एक ही अधिकारी को दिल्ली सरकार के पांच-पांच विभागों का विभागाध्यक्ष किस निति के अनुसार बनाया गया है | दिल्ली सरकार का खाद्य एंव

सभरण विभाग सीधे तौर पर आम जनता से जुडा हुआ विभाग है तथा इस विभाग में इतना अधिक काम है कि इस विभाग के सचिव को कोई और विभाग नहीं दिया जाना चाहिए | महोदय, हैरानी की बात है कि दिल्ली की उचित दर दूकानदारों का संगठन पिछले कई वर्षो से यह पुरजोर मांग करता रहा है कि दिल्ली सरकार के खाद्य एंव सभरण विभाग का आयुक्त तथा दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

लिमिटेड का चेयरमैन एक ही अफसर नहीं होना चाहिए लेकिन हमारी इस उचित मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई है | हमारी यह मांग इसलिए उचित है कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा हमारी राशन की दूकानों पर खाद्यानो की सप्लाई की जाती है और हम दोनों ही विभागों का एक ही विभागाध्यक्ष होने के कारण न तो हमारी कोई शिकायत सुनी जाती है और न ही हमारी शिकायत पर कोई कार्यवाई ही की जाती है, इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी यह पुरजोर मांग है कि दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरस्त रखने के लिए इन दोनों ही विभागों में अलग-अलग विभागाध्यक्ष नियुक्त किए जाने चाहिए |

3. दिल्ली सरकार का खाद्य एंव संभरण विभाग हम उचित दर दूकानदारो की झूठी व गलत शिकायतों पर दूकानों की जांच करता है | संस्था द्वारा समय-समय पर अपनी मांगो के समर्थन में जब-तब विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान दिलाया जाता है तब-तब विभाग दूकानों की जांच शुरू कर देता है | ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संस्था पर दबाव बनाया जा सके | इससे पूर्व इस विभाग के आयुक्त श्री विजय देव ने यह स्पष्ट आदेश जारी किए हुए थे कि उन्ही दूकानों की जांच की जाएगी जिनकी शिकायत दूकान पर दर्ज कार्डधारी करेगा | उन आदेशो की वर्तमान में अवहेलना की जा रही है | हमारी मांग है कि उसी समय उचित दर की दूकान की जांच की जानी चाहिए जिसकी शिकायत दूकान पर दर्ज कार्डधारी द्वारा की गयी हो |

4. दिल्ली सरकार के खाद्य एंव संभरण विभाग ने दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 की आड़ में दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है | योजना अनुसार अब केवल दिल्ली में उसी परिवार को सस्ती दर का राशन मिलेगा

जिसके पास खाद्य सुरक्षा का राशन कार्ड होगा | इस कार्ड पर चीनी नहीं मिलेगी | जबकी इससे पूर्व बी.पी.एल, अन्त्योदय तथा झुग्गी निवासियों को प्रति कार्ड 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से 6 किलो चीनी मिलती थी | इन श्रेणियों के हजारों परिवारों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 के तहत केवल इस कारण से अपने राशन कार्ड नहीं बनवाए कि नए राशन कार्ड पर चीनी दिए जाने का प्रावधान नहीं है | दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 को लागू किए जाने से पूर्व जिन गरीब लोगों को राशन कार्डो पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं 7.05 रूपये प्रतिकिलो तथा चावल 9.25 रूपये प्रतिकिलो मिला करता था वह जुलाई 2014 से दिल्ली में बंद कर दिया गया है और उन लोगो से यह कहा जा रहा है कि वह सात और नौ रूपये के राशन को भूल जाए और फ़ूड सिक्योरिटी में दो रूपये और तीन रूपये के राशन के फ़ार्म भर दे | इसका नतीजा यह हुआ है कि कई रईसजादो ने हेराफेरी करके गरीबों के पेट पर लात मारकर गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड बनवा लिए है | विभाग को इस बाबत पूरी सूचना है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है | इस हेराफेरी से एक ओर जहां सरकार का करोड़ों का नुक्सान हो रहा है वहीं ए.पी.एल राशन कार्ड पर जारी होने वाले खाद्यानों की सप्लाई रोके जाने के कारण दिल्ली के उचित दर दूकानदारों के परिवार भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हो गए है | हमारी यह पुरजोर मांग है कि दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बचाए रखने के लिए तथा खुले बाजार में गेहू, चावल तथा चीनी के मूल्य नियंत्रण रखने के लिए तत्काल ए.पी.एल श्रेणी के कार्डधारकों को गेहू-चावल की सप्लाई वितरण प्रणाली के जरिए की जानी हिए | दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए तथा दिल्ली के 2500 के करीब उचित दर दूकानदारों के परिवारों को भुखमरी के कगार से बचाए रखने के लिए दिल्ली के हर निवासी को कंट्रोल रेट पर गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेलों (पाम आयल तथा रेपसीड आयल) का वितरण कंट्रोल दर से किया जाना चाहिए | तत्काल प्रभावी कार्यवाही में ए.पी.एल श्रेणी के कार्डधारको का कोटा उचित दर दूकानदारों को आबंटित किया जाना चाहिए | यहां यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 में इस विधेयक के लागू होने पर सार्वजनिक वितरण

,णाली को समाप्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है | दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी राज्य ने अपने राज्य से वितरण प्रणाली को समाप्त नहीं किया है |

5. दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत 2500 उचित दर के दूकानदारों को खाद्यानो की बिक्री पर बहुत ही कम कमीशन दिया जा रहा है | यह कमीशन वर्तमान में मात्र 35 रूपये प्रति क्विंटल है | दिल्ली सरकार के खाद्य एंव संभरण आयुक्त श्री एस.एस.यादव ने संस्था के पदाधिकारियों को बताया है कि यह कमीशन बढाकर 70 रूपये प्रति क्विंटल किया जा रहा है | जबकी संस्था की मांग 2.80 रूपये प्रति क्विंटल की है | इसी मांग पर गंभीरता पूर्वक यह विचार किया जाना चाहिए | हमारी यह मांग पूरी तरह से जायज है | इस सन्दर्भ में हमारा माननीय उप-राज्यपाल से निवेदन है कि इस मामले में तत्काल एक समिति का गठन किया जाए तथा इस समिति में संस्था के कम से कम पांच सदस्यों को सम्मिलित किया जाए तथा समिति कि सिफारिश पर ही हम दूकानदारों का कमीशन निश्चित किया जाए |

6. महोदय, हम पिछले पचास वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कंट्रोल रेट के खाद्यानों की सप्लाई दिल्ली की गरीब जनता को कर रहे है और हैरानी की बात है कि विभाग के अधिकारी हमारी उचित मांग को भी नहीं मानते | इससे पूर्व में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद स्व. श्री जगप्रवेश चन्द्र तथा पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदनलाल खुराना हर महीने हम उचित दर दूकानदारों के प्रतिनिधियों तथा सम्बंधित अधिकारियों की एक नियमित मीटिंग लेते थे जिसमें दूकानादारों तथा दिल्ली की जनता की राशन सम्बंधित समस्याओं पर चर्चा करके उनका समाधान किया जाता था | आज हालात यह है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार न होने के कारण विभाग के अधिकारी तक हमारी बात सुनने के लिए तैयार नही है | हमारी यह मांग है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के गठन तक आपकी अध्यक्षता (माननीय उप-राज्यपाल) में महीने में एक बार उचित दर दूकानदारों के प्रतिनिधियों की मीटिंग सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के साथ अनिवार्य रूप से वितरण प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए निश्चित की जानी चाहिए | जिसमे दिल्ली सरकार के खाद्य एंव संभरण विभाग के अधिकारी, दिल्ली राज्य नागारिक आपूर्ति निगम के अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी, उपभोक्ता संगठनो के अधिकारी तथा उचित दर दूकानदारों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए |

7. उप-राज्यपाल महोदय जी दिल्ली में उचित दर के दूकानदारो पर जो कंट्रोल आर्डर लागू होता है उसमे लाईसेंस दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है | कंट्रोल आर्डर में उचित दर दूकानदारो को राशन दूकान चलाने के लिए अधिकार पत्र (प्राधिकरण) दिया जाता है, अर्थात विभाग किसी व्यक्ति अथवा संस्था को यह अधिकार देता है कि वह विभाग के आदेश पर खाद्यानों का वितरण करे | कुछ वर्ष पूर्व इस प्राधिकरण की धरोहर राशि मात्र 500 रूपये थी जिसे दस गुणा बढाकर 5000 रूपये किया गया और उसके बाद इसे दुगुना करके 10000 रूपये कर दी गई | इस प्राधिकरण का पहले नवनीकरण नहीं किया जाता था अब पिछले कुछ वर्षो से हर तीन वर्ष के पश्चात इस प्राधिकरण का नवनीकरण किया जाता है तथा इस नवीनीकरण की फीस रूपये 500 ली जाती है | इसके अतिरिक्त नए प्राधिकरण की फीस 1000 रूपये तथा डुप्लीकेट प्राधिकरण की फीस रूपये 500 ली जाती है | इस तीन वर्ष में किए जाने वाले प्राधिकरण नवीनीकरण के समय जो भ्रष्टाचार होता है उसके विषय में विभाग के उच्च अधिकारियों तक मामला उठाया गया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई | उप-राज्यपाल जी जिस समय आपकी अध्यक्षता में आपके साथ पहली बैठक होगी तो इस संस्था के पदाअधिकारी विस्तारपूर्वक आपको इस सिस्टम के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से प्राधिकरण नवीनीकरण के नाम पर उचित दर दुकानदारों का गला घोटा जाता है | संस्था की पुरजोर मांग है कि प्राधिकरण नवीनीकरण के कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेश विभाग जारी करे तथा इसका निर्णय किसी उच्च स्तरीय वार्ता के पश्चात ही लिया जाए | इसी मामले में हमारी यह भी मांग है कि प्राधिकरण की धरोहर राशि जो 500 रूपये से बढाकर 10000 रूपये की गयी है उसे पुन: 500 रूपये किया जाए |

8. उप-राज्यपाल महोदय जी दिल्ली में एक सरकारी संस्था है जिसका नाम दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड है और उसके चेयरमैन श्री एस.एस.यादव है और श्री एस.एस.यादव अन्य चार विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ-साथ दिल्ली सरकार के खाद्य एंव संभरण आयुक्त भी है | यह आपूर्ति निगम दिल्ली में अंग्रेजी शराब की दूकाने चलाती है इस संस्था के चपरासी से लेकर चेयरमैन तक का ध्यान शराब की बिक्री पर लगा रहता है | यही कारण है कि आपूर्ति निगम द्वारा जब किसी राशन की दूकान पर खराब गेहू-चावल की सप्लाई की जाती है और कम

वजन के खाद्यान की सप्लाई की जाती है और दूकानदार की लिखित व प्रमाणित शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जैसा कि इस ज्ञापन में ऊपर लिखा गया है कि यदि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन तथा खाद्य एव संभरण विभाग के आयुक्त दो अलग-अलग अफ़सर हों तो इस समस्या का तत्काल समाधान हो सकता है। इसलिए उप-राज्यपाल महोदय से हमारी मांग है कि शराब वितरण के अधिकारी तथा राशन वितरण के अधिकारी दो अलग-अलग अधिकारी होने चाहिए।

9. महोदय, हम आपकी जानकारी में एक बहुत ही गंभीर मामला यह लाना चाहते है कि दिल्ली सरकार के खाद्य एंव संभरण आयक्त श्री एस.एस. यादव ने सितम्बर 2014 में कई दैनिक हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों को दिए गए इंटरव्यू में यह दावा किया है कि उन्होंने 18 लाख परिवारों के बोगस राशन कार्ड पकडे है जो की जाली है, इन राशन कार्डो को पकडे जाने के परिणाम स्वरुप केंद्र सरकार को हर महीने पचास करोड़ रुपया तथा राज्य सरकार को दो करोड़ रुपया की बचत की गयी है। श्री एस.एस.यादव के अनुसार कुल 52 करोड़ रुपया प्रति महीने की सरकारी बचत की गई है। यादव साहब ने प्रेस को यह नहीं बताया की जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने बोगस राशन कार्ड बनाकर 52 करोड़ रुपया प्रति महीने का चूना लगाया है उनके विरूद्द क्या कार्यवाही की गयी है अथवा भविष्य में की जानी प्रस्तावित है। संस्था का कहना है कि यादव साहब स्वयं इस पद पर पिछले एक वर्ष से अधिक समय से नियुक्त है और उनके कार्यकाल में उन्ही के कथनाअनुसार करीब सात सौ करोड़ रूपये के राशन खाद्यानो का जो घोटाला हुआ है, उसकी जवाबदेही किस पर है, यह जांच का विषय है। हम आशा करते है कि यादव साहब इसकी जांच जरूर कराएगे।

10. महोदय, दिल्ली सरकार का खाद्य एंव संभरण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 की आड़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ख़त्म करना चाहता है। जिस प्रकार कुछ वर्ष पहले दिल्ली की पूर्व सरकार ने दिल्ली के 2500 के करीब मिट्टी के तेल के डीपो धारियों को गैस सलेंडर की आड़ में बेरोजगार कर दिया। इन मिट्टी के तेल के डीपो धारियों के लाईसेंस अभी तक

विभाग के पास मौजूद है और इनकी लाईसेंस धरोहर राशि भी अभी तक विभाग के पास मौजूद है | यह गरीब डिपो धारी पिछले कई वर्षो से सरकार से यह मांग कर रहे है कि जब इनके तेल डिपो बंद कर दिए गए और कार्डधारको को मिट्टी के तेल की जगह पर एल.पी.जी गैस कनेक्शन दे दिए गए तो क्या कारण है कि इन तेल डिपो वालो को गैस एजेंसी नहीं दी गयी | यह संस्था उन सभी प्रभावित 2500 मिट्टी के तेल डिपो धारियों की ओर से यह पुरजोर मांग करती है कि इन तेल डिपो धारियों के दस-दस लाईसेंसियो के ग्रुप बनाकर उन्हें एक-एक गैस एजेंसी का लाईसेंस दिया जाना चाहिए ताकि यह गरीब परिवार जो भुखमरी के कागार पर पहुँच गए है उनका उत्थान हो सके | यदि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रित देश में यह न्याय इन दूकानदारों को नहीं मिलता तो यह समझा जाएगा की देश से लोकतांत्रित मूल्यों का हनन हो रहा है और सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है |

अंत में, माननीय उप-राज्यपाल महोदय तथा इस ज्ञापन की प्रतिलिपि जिन-जिन महानुभावो को भेजी जा रही है उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त ज्ञापन में लिखी गयी समस्याओं, सुझावों व शिकायतों पर गंभीरता पूर्वक विचार करे ताकि दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे तथा गरीब व मेहनतकश मजदूर परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान मिलता रहे |

हमारा सहयोग सदैव सरकार के साथ है और रहेगा |

अध्यक्ष 30/9/2014	महासचिव	प्रमुख सलाहकार 30/9/14
शिवकुमार गर्ग	सीताराम	सूरज प्रकाश